



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267882
CG-DL-E-21112025-267882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5143]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5143]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5319(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवम्बर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन उक्त संहिता के निम्नलिखित उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

क्र. सं.	संहिता के उपबन्ध
1.	धारा 1 से 14;
2.	धारा 15 की उप-धारा (1) और (2);
3.	धारा 16 की उप-धारा (1) का खंड (ग)
4.	धारा 17 से 141;
5.	धारा 143, तारीख 3 मई, 2023 के का.आ. 2060 (अ.) में क्रम संख्या (v) पर विनिर्दिष्ट संहिता के उपबन्धों के सिवाय;

6.	धारा 144 से 163;
7.	धारा 164 की उप-धारा (1) की मद 1 और 2 तथा मद 4 से 9;
8.	धारा 164 की उप-धारा (2) का खंड (क) और खंड (ग) और उपधारा (3)।

[फा.सं. आर-11011/04/2021-एसएस.II]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby appoints the 21st day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Code, shall come into force, namely: -

Sl. No.	Provisions of the Code
1.	sections 1 to 14;
2.	sub-sections (1) and (2) of section 15;
3.	clause (c) of sub-section (1) of section 16;
4.	sections 17 to 141;
5.	section 143, except the provisions of the Code specified at serial number (v) of S.O. 2060 (E), dated the 3 rd May, 2023;
6.	sections 144 to 163;
7.	Items 1 and 2 and items 4 to 9 of sub-section (1) of section 164;
8.	clause (a) and clause (c) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 164.

[F. No. R-11011/04/2021-SS.II]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.